न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 1131/2021 निर्णय दिनांकः 30.06.2025

ऑनलाईन नम्बर 2021/300

1. सिद्वार्थ 2. ऋसभ पुत्रगण माणकचन्द जाति डागा निवासी श्रीडूंगरगढ़ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रार्थीगण—

बनाम

1. रणजीतकुमार
2. हनुमानमल | पुत्रगण पुनमचन्द जाति बोथरा निवासी श्रीडूंगरगढ़ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़
4. बाबुलाल पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी ढुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
5. जगदीशप्रसाद पुत्र गौरीशंकर जाति सिखवाल (ब्राहम्ण) निवासी श्रीडूंगरगढ़।

—अप्रार्थीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री राजूराम बाना अभिभाषक प्रार्थीगण ।
2. श्री जगदीश प्रसाद बाना अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 ता 2 व 4
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से
4. श्री पूनमचन्द मारू अभिभाषक अप्रार्थी सं. 5

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 1568/362 तादादी 5.7980 हैक्टेयर रोही श्रीडूंगरगढ़ में रास्ता कायम करवाने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसमें दौराने प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 ने अप्रार्थी संख्या 4 ता 5 को प्रस्तावित रास्ता की भूमि को विक्रय कर देने से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी संख्या 4 ता 5 के रूप में पक्षकार संयोजित किया है। प्रार्थीगण के नाम से रोही श्रीडूंगरगढ़ में खेत खसरा नम्बर 363 तादादी 3.9600 हैक्टेयर अवस्थित है। जिसका रास्ता अप्रार्थीगण संख्या 4 ता 5 के खेत खसरा नम्बर 1664/1568 तादादी 0.1708 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1663/1568 तादादी 0.2012 हैक्टेयर में से होकर जाता है जो नेशनल हाईवे से फटकर अप्रार्थीगण के खेत के पश्चिमी भाग से होते हुए प्रार्थीगण के खेत में प्रवेश करता है। जिसकी दूरी लगभग 153 मीटर लम्बाई एवं 9.15 मीटर चौडाई है जो रास्ता अप्रार्थीगण के खेत में से शुरू से ही चला आ रहा है इसी रास्ते से प्रार्थीगण शुरू से ही आते जाते रहते है। उक्त रास्ता नेशनल हाईवे के रास्ते से फटकर अप्रार्थीगण के खेत में से गुजरता है उक्त रास्ता शुरू से ही चला आ रहा है प्रार्थीगण के खेत का एक मात्र रास्ता है जिससे प्रार्थीगण अपने खेत में आता जाता है। उक्त खेत में प्रार्थीगण का विधमान रास्ता जिसकी चौड़ाई 9.15 मीटर एवं लम्बाई 153 मीटर है प्रार्थीगण का रास्ता अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के खेत खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.02 13:14:51 IST
Reason: SelfAttested

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

363 तादादी 3.9600 हैक्टेयर रोही श्रीडूगरगढ़ के नेशनल हाईवे से फटकर अप्रार्थीगण संख्या 4 ता 5 के खेत में से होता हुआ प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 363 तादादी 3.9600 हैक्टेयर, रोही श्रीडूंगरगढ़ में प्रवेश करता है। उक्त रास्ते को दर्शाते हुए नजरी फर्द मौका का नक्शा संलग्न किया जा रहा है जिसमें X से Y नेशनल हाईवे है व लाल स्याही से मार्क A से B अप्रार्थीगणगण संख्या 1 व 2 के खेत से गुजरता हुआ रास्ता है जिसकी लम्बाई 153 मीटर है जो प्रार्थीगण के खेत में जाता है जो अन्त्यत आवश्यक एवं प्रार्थीगण के खेत तक पहुचने का एकमात्र रास्ता है उक्त रास्ता सुविधा का न होकर आवश्यकता का है उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण द्वारा अपने खेत तक पहुचने का अन्य रास्ता नही है। प्रार्थी के खेतों में आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नही है यही एकमात्र प्रार्थीगण के आने जाने का एकमात्र रास्ता है जिससे प्रार्थीगण शुरू से ही इसी रास्ते से होकर अपने अपने खेत में आती जाती है। प्रार्थीगण का रास्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के खेत खसरा नम्बर 363 तादादी 3.9600 हैक्टेयर में से 153 गुणा 9.15 कुल क्षेत्रफल 1400 वर्गमीटर है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण संख्या 4 व 5 को रास्ते के क्षेत्रफल की सरकारी डी. एल. सी. दर की दोगुना कीमत अदा करने को तैयार है। प्रार्थीगण इसी रास्ते से आते जाते है इसलिए प्राथी द्वारा यही रास्ता मांगना आवश्यक एवं मजबूरी है। यही ही एकमात्र एवं अन्यन्त आवश्यकता का रास्ता होने के कारण प्रार्थीगण द्वारा कम चौड़ाई के रास्ते की मांग की गई है। प्रार्थीगण की एवं रास्ते की भूमि रोही श्रीडूंगरगढ़ में अवस्थित है जो श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार में होने से श्रीमानजी को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार हासिल है। प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद एंव पूर्ण न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान् जी से निवेदन है कि प्रार्थीगण के नाम से खातेदारी खेत खसरा नम्बर 363 तादादी 3.9600 हैक्टेयर रोही श्रीडूंगरगढ़ तहसील श्रीडूंगरगढ़ का रास्ता अप्रार्थीगण संख्या 4 व 5 के खसरा नम्बर 1664/1568 तादादी 0.1708 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1663/1568 तादादी 0.2012 हैक्टेयर में से 153 मीटर लम्बा एवं 9.15 मीटर चौडा कुल 1400 वर्गमीटर सलग्न नक्शे में दर्शाये अनुसार रास्ता को राजस्व रिकार्ड में गै.मु. कटाणी दर्ज किया का आदेश अप्रार्थीगण संख्या 3 को फरमाने की कृपा फरमावें ।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 व 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया । अप्रार्थी संख्या 5 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। स्टेट की ओर से मौका रिपोर्ट पेश की गई। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस करते हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया एवं अपनी बहस के समर्थन में माननीय बोर्ड ऑफ रेवन्यु, राजस्थान, अजमेर के न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2022(1) पृष्ठ संख्या 177, आरआरटी 2023(2) पृष्ठ 1193, आरआरटी 2022(1) पृष्ठ

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.02 13:14:51 IST
Reason: Attested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

संख्या 465, आरआरटी 2023(2) पृष्ठ संख्या 854 व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2022(1) पृष्ठ संख्या 556 पेश की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता द्वार अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि खेत खसरा नम्बर 363 तादादी 3.96 हैक्टेयर प्रार्थीगण की खातेदारी का होना स्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1671/1662 तादादी 3.2008 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1684/1669 तादादी 0.6850 हैक्टेयर रोही मोजा श्रीडूंगरगढ में स्थित है। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र में मार्क ए से बी जो रास्ते की मांग की है वह सीमा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खेत के नही लगती है, चाहे गये मार्ग ए टु बी की सीमा खसरा नम्बर 1664/1568 व खसरा नम्बर 1663/1568 व खसरा नम्बर 1668/1662 व खसरा नम्बर 1683/1669 के लगती है। जिनके राजस्व रिकार्ड में खातेदार अलग अलग दर्शाये गये है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खेत में से प्रार्थीगण के खेत का रास्ता नही है । प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र बिलकुल ही गलत प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा इस मद में एक्स से वाई हाईवे व मार्क ए से बी चाहा गया गया रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खेत मे से नही है। मार्क ए से बी चाहा गया रास्ता अन्य लोगो के खेत है । प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के साथ साथ जो नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है वह पूर्णतया गलत है मौका स्थिति के विपरित है मार्क ए से बी चाहे गये रास्ता अन्य खातेदारो के खेत में से है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 में वर्णित तथ्यो से पूर्णतया इन्कार किया जाता है। प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से जो रास्ते की मांग की है वहां अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का खेत नही है ऐसी स्थिति में इस मद में वर्णित तथ्य प्रार्थीगण स्वयं द्वारा ही साबित किये जाने है। प्रार्थीगण का आवागमन अप्रार्थीगण के खेत में से कभी नही रहा है। प्रार्थीगण के खेत में आने जाने का रास्ता अप्रार्थीगण के खेत में से कभी नही रहा है। प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र गलत आधारो पर प्रस्तुत किया है, प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने मार्क ए से बी जो रास्ते की मांग की है वह सीमा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खेत के नही लगती है, चाहे गये मार्ग ए टु बी की सीमा खसरा नम्बर 1664/1568 व खसरा नम्बर 1663/1568 व खसरा नम्बर 1668/1662 व खसरा नम्बर 1683/1669 के लगती है। जिनके राजस्व रिकार्ड में खातेदार अलग अलग दर्शाये गये है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खेत में से प्रार्थीगण के खेत का रास्ता नही है। प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र बिलकुल ही गलत प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पक्षकारो के कुसंयोजन व असंयोजन से ग्रस्ति है। प्रार्थीगण ने गलत पक्षकरो के मध्य उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण के उक्त प्रार्थना पत्र में वाद हेतु प्राप्त नही है । प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का वाद हेतु कब प्राप्त हुआ का वर्णन नही है । ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.02 13:14:51 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

अप्रार्थी से 4 के अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि प्रार्थीगण के खेत ख.नं. 363 के पश्चिमी दिशा में चिपता ही खेत खसरा नम्बर 363 है जो कृषि आधारित औद्योगिक रूपान्तरित भूमि है, जिसमें 60 फीट चौड़ी रोड बनी हुई हैं, जो प्रार्थीगण के खेत ख.नं. 363 से सख्ती हुई है जिससे प्रार्थीगण अपने उक्त जोत तक पहुँचने के लिए आसानी से आवागमन कर सकते है अर्थात् प्रार्थीगण को अपनी उक्त जोत का उपभोग करने के लिए उनके पास वैकल्पिक रास्ता ख. न. 371 में से उपलब्ध है। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी सं. 4 द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण न्यायालय– हाजा के समक्ष ''क्लीन हैण्ड'' से नहीं आये है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना–पत्र केवलमात्र अप्रार्थी स.4 को तंग–परेशान करने के आशय से प्रस्तुत किया गया है जो सव्यय खारिज फरमाया जाने योग्य एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया एंव अपनी बहस के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्ट्रान्त धन्नाराम बनाम बोर्ड ऑफ रेवन्यू डीएजे 2023(2) पृष्ठ संख्या 802 व माननीय बोर्ड ऑफ रेवन्यू राजस्थान अजमेर के न्यायिक दृष्ट्रान्त जगदीश बनाम केशराराम आदि डीएनजे 2021(1) पृष्ठ संख्या 681 पेश की गई।

अप्रार्थी सं. 5 के अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि मुझे अप्रार्थी की भूमि में से प्रार्थी के खेत मै जाने का कोई रास्ता नहीं है। मुझ अप्रार्थी की जमीन में से प्रार्थीगण के खेत में रास्ता जाता ही नहीं है, तो प्रार्थीगण द्वारा डीएलसी दर की दुगनी राशि अड्डा करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थीगण द्वारा वर्णित रास्ता ना हो वर्तमान अस्तित्व में हैं, और ना ही कभी अस्तित्व में रहा है तो प्रार्थना पत्र के वर्णित रास्ता आवश्यकता का रास्ता नहीं हो सकता। वर्णित रास्ता ना तो है ना ही अप्रार्थीगण की आवश्यकता का है। मुझ अप्रार्थी सं. 5 ने खेत खसरा नम्बर 1663/1568 का मिश्रित पट्टा नगरपालिका श्रीडूंगरगढ़ से बनना लिया है, इसलिये खसरा नम्बर 1663/1568 की भूमि में से जहां से प्रार्थीगण ने रास्ता चाहा है, वह भूमि कृषि भूमि नहीं रही इसलिए प्रा. पत्र न्यायालय श्रीमान् के श्रवणाधिकार में नहीं रहा है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष स्वीकार नहीं ईकार किया जाता है। प्रार्थीगण मुझे अप्रार्थी के विरुद्ध किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। मुझ अप्रार्थी द्वारा अपने खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1663/1568 तादादी 0.2012 हैक्टेयर रोही श्रीडूंगरगढ़ में से 100×100 फुट यानि 929.02 वर्ग मीटर का पट्टा से बनना लिया, इसलिए यह भूमि कृषि भूमि नहीं रही इसलिए प्रा. पत्र की सुनवाई का श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान् का नहीं रहा। इसी आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र काबिले खारिज है। प्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 363 के पश्चिमी तरफ चिपता ही खेत खसरा नम्बर 371 है जो कृषि आधारित औद्योगिक रूपान्तरित भूमि है, जिसमें 60 फुट चौडी डामरी कूट सड़क बनी हुई है, जो प्रार्थीगण के खेत ख. न. 363 के बिल्कुल सटा कर है, इसी सड़क (मार्ग) से प्रार्थीगण अपने खेत में आवागमन करते है, तथा पूर्व से प्रार्थीगण खेत ख.नं. 371 में से जहां से अ[illegible] चौड़ी सड़क बनी है, होकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.02 13:14:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

अपने खेत खं .न– 363 में आवागमन करते रहे हैं। प्रार्थीगण के पास अपने खेत में पहुंच का रास्ता पहले से विद्यमान है। प्रार्थीगण के खेत खं.नं. 363 में पहुंच का रास्ता खसरा नम्बर 371 में बनी सड़क जो प्रार्थीगण के खेत की सीमा तक बनी हुई है, मौजूद है तथा प्रार्थीगण इसी सड़क से अपने खेत में आवागमन करते आ रहे हैं। प्रार्थीगण के पास ख.नं. 371 में होकर वैकल्पिक रास्ता मौजूद है इसलिए प्रार्थना पत्र में वर्णित रास्ता आवश्यकता का रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) आर.टी.ए. की परिधि में नहीं आता है और इसी आधार पर काबिले खारिज है एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया एंव अपनी बहस के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्ट्रान्त धन्नाराम बनाम बोर्ड ऑफ रेवन्यू डीएजे 2023(2) पृष्ठ संख्या 802 व माननीय बोर्ड ऑफ रेवन्यू राजस्थान अजमेर के न्यायिक दृष्ट्रान्त जगदीश बनाम केशराराम आदि डीएनजे 2021(1) पृष्ठ संख्या 681 पेश की गई।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं दस्तावेजो एवं तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वार प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 363 तादादी 3.9600 हैक्टेयर वाकेरोही श्रीडूंगरगढ तहसील श्रीडूंगरगढ में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है परन्तु प्रार्थी द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार रास्ते की मांग की गई है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता आवश्यकता को ना होकर सुविधा का है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क के अनुसार चाहा गया रास्ता सुविधा का न होकर अन्त्यन्त आवश्यकता का होना चाहिए एवं वैकल्पिक रास्ता का अभाव होना चाहिए। प्रार्थी द्वारा केवल अपनी सुविधानुसार रास्ते की मांग की गई है। लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 30.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.02 13:14:51 IST
Reason: SelfAttested